तारीख हुक्म	
24.06.2022	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों से बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 वास्ते निरस्त करने एकतरफा जारी निर्णय एवं डिक्री वाद संख्या 89/2018 डिक्री दिनांक 06.09.2019 में कथन किया है कि विप्रार्थी संख्या 1 (वादीगण) गीगा द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर सरहद मौजा भावाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 211, 281, 293, ग्राम हाजाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 394, 394/14, ग्राम भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 4, 16, 72 का पेश किया गया, जिसके सम्मन तामील कुनन्दा द्वारा मिलीभगत कर प्रार्थीगण घर से वाहर होने के बावजूद भी आबाद मकान पर चश्पा कर न्यायालय में पेश कर दिये गये जिससे न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 18.01.2019 को एक तरफा कार्यवाही कर एक तरफा निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई जिससे प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात हुआ है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी नारणा के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही व निर्णय एवंडिक्री दिनांक 06.09.2019 अपास्त कर प्रार्थी नारणा को जबावदावा मुजराउजर ऐतराज व आपत्ति एवं साक्षी प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने का आदेश फरमाया जावे। इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण की बहस है कि तामील कुनन्दा तहसील कार्यालय का जिम्मेदार कार्मिक है तथा तहसील तामील कुनन्दा द्वारा समस्त पक्षकारान के सम्मन विधिपूर्वक वास्तविक तामीली करवाकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिससे न्यायालय ने पक्षकारान की पूर्ण तामीली मानते हुए मूल वाद पत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी का वाद पूर्ण व विधि पूर्वक प्राथमिक डिक्री जारी की गई तत्पश्चात विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के भी हस्ताक्षर अंकित हैं, वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई। प्रतिवादी नारणा (प्रार्थी) ने अनावश्यक विलम्ब के वाद केवल मात्र वादी को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है यदि प्रतिवादी माननीय न्यायालय के निर्णय व आदेश से असंतुष्ठ है तो उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील के लिये स्वतन्त्र है। प्रार्थी की तलबी विधिअनुसार हुई है तथा प्रतिवादीगण को वादी के वाद पत्र की पूर्व से ही पूर्ण जानकारी होने से सकल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि विरूद्ध होने से प्रार्थी नारणा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मूल वाद की पत्रावली 89/18 का गम्भीरता से अवलोकन अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं प्रतिवादीगण की तामीली की सन्तुष्टि के लिये सम्मनों की तामीली पर लिखी इवारत का गम्भीरता से अवलोकन अध्ययन किया गया। उक्त सम्मनों की तामीली तहसील कार्यालय के राजकीय कार्मिक तामील कुनन्नदा द्वारा तामीली की विधिक प्रकिया अपनाई जाकर करवाई गई है इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:45:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

न्यायालय सन्तुष्ट है तथा उक्त तामीली को पूर्ण व विधिक तामील मानते हुए प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विभाजन प्रस्ताव व विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द पर वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण के भी हस्ताक्षर अंकित हैं, इससे यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण को वादी के वाद पत्र की जानकारी न हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन के कथनों से न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रार्थी (प्रतिवादीगण) को वादी के वाद पत्र की जानकारी सम्मन तामीली की तारीख से ही हो चुकी थी, प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, अब यह आवेदन अंतिम डिक्री होने के 1 वर्ष की असाधारण देरी पेश किया है, इस असाधारण देरी के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण व साक्ष्य आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं है जिस पर न्यायालय कोई विचार कर सके। अलावा इसके यदि प्रार्थीगण इस न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 06.09..2029 से असन्तुष्ठ हैं तो सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 वास्ते निरस्त करने एकतरफा जारी आदेश संख्या 78/2020 आदेश दिनांक 11.01.2021 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:45:41 IST
Reason: SelfAttested